8-12-22

निर्णय दिनांक 7/12/22 की पालना में अभिभाषक वादी द्वारा डा० पत्र प्रस्तुत कर पत्रावली आज पेश की गई। वादी द्वारा स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत ~~[illegible]~~ अतः डिक्री जारी की जाती है। पत्रावली पूर्ण नत्थीबद्ध हो, पत्रावली दायरा पंजिका के क्रम से कम की जाकर निर्णित की सूची में शामिल हो।

Sd/-

(जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर)
(प्रशिक्षु I.A.S)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यापालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – श्री जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर , प्रशिक्षु आई.ए.एस.

वादपत्र संख्या 008/2021
अन्तर्गत धारा 88, 53, 91 राज. काश्तकारी अधिनियम

भूपेन्द्र सिंह पुत्र नाजर सिंह जाति जट सिख निवासी 8 वाई मोहनपुरा तह0 व जिला श्रीगंगानगर।
–वादी

बनाम

1. नाज़र सिंह पुत्र स्व0 नंद सिंह जाति जट सिख निवासी 8 वाई मोहनपुरा तह0 व जिला श्रीगंगानगर।
2. लखविन्द्र सिंह पुत्र नाजर सिंह जाति जट सिख निवासी 8 वाई मोहनपुरा तह0 व जिला श्रीगंगानगर।
3. मनप्रीत कौर पुत्री नाजर सिंह, पत्नी जसविन्द्र सिंह जाति जट सिख निवासी चाहूवाली तह0 टिब्बी जिला हनुमानगढ़
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर।

–प्रतिवादीगण

उपस्थित– श्री बलराम स्वामी (अधिवक्ता वादी)
श्री संजय जनवेजा (प्रति. संख्या 1 ता 3)
पैरोकार राज (प्रतिवादी–4)

दिनांक 07 दिसम्बर, 2022

–निर्णय–

वाद पत्र के तथ्यों के अनुसार वादी के परदादा स्व0 बच्चन सिंह के नाम से चक 8 वाई तह0 व जिला श्रीगंगानगर के खाता सं0 32/15(91), मु0 नं0 18, 21, 19 की कुल 42 बीघा में 1/4 हिस्सा खातेदारी दर्ज था, जमाबंदी संवत् 2015–18 की प्रमाणित प्रतिलिपि शामिल है। बच्चन सिंह का देहांत होने पर उपरोक्त आराजी उसके वारिसान को विरासतन प्राप्त हुई, जो कि उसके पुत्र नंद सिंह व नंद सिंह के देहांत के बाद उसके पुत्र प्रतिवादी सं0 1 नाजर सिंह को प्राप्त हुई, नंद सिंह के नाम की जमाबंदी संवत् 1995 की नकल शामिल है। बच्चन सिंह की भूमि की आय से ही भूमि बनायी गई तथा परिवार की जरूरत जायज के लिये नंद सिंह के नाम जो भूमि थी को विक्रय कर चक 9 वाई तह0 व जिला श्रीगंगानगर में भूमि बनायी गई। नंद सिंह के देहांत के बाद वर्तमान में चक 8 वाई तह0 व जिला श्रीगंगानगर की निम्नलिखित भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज चली आ रही है– चक 8 वाई तह0 श्रीगंगानगर के खाता सं0 49 नया 45 पुराना, मु0 नं0 8, 17, 18, 42 की कुल 1.937 है0। चक 9 वाई तह0 श्रीगंगानगर के खाता सं0 नया 58 पुराना 53, मु0 नं0 51, 52, 66 की कुल 1.682 है0। इस प्रकार उपरोक्त कृषि भूमि वादी तथा प्रतिवादी सं0 1 ता 3 की संयुक्त हिन्दू परिवार की जद्दी व अविभाजित सम्पति के रूप में प्रतिवादी सं0 1 के नाम खातेदारी दर्ज है, जो कि परिवार का मुख्य होने के कारण दर्ज चली आ रही है, जबकि चौथी पीढी में होने से वादी का जन्म से हक हिस्सा बनता है। परिवार बढ जाने से संयुक्त हिन्दू परिवार को कायम ना रखना संभव ना रहने से पारिवारिक समझौता द्वारा घरू बंटवारा किया गया, जिसके अनुसार वादी के हिस्सा व कब्जा काश्त में चक 9 वाई के खाता सं0 58/53, मु0 नं0 51 का किला नं0 25/1, 25/2, मु0 नं0 52 के किला नं0 21/2 व 21/3 की 0.164 है0, मु0 नं0 66 के किला नं0 5, 6 सालम सालम कब्जा काश्त में चला आ रहा है, जो कि आज भी वादी के ही कब्ज़ा में है। वादी द्वारा उपरोक्त कब्जा काश्त की भूमि में भारी मेहनत व काफी रूपया लगाकर सुधार करने से व भूमि उपजाऊ बन जाने से प्रतिवादीगण के मन में लालच आ गया है क्योंकि प्रतिवादीगण ने आपस में मिलीभगत कर रखी है, इसलिये वह प्रतिवादी सं0 1 के माध्यम से भूमि को मुंतकिल करने के प्रयास में है, यदि वह इसमें सफल हो गए तो वादी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा, अतः वादी के लिये अपने अधिकारों की घोषणा करवाना तथा पारिवारिक समझौता के अनुसार किये गये विभाजन के अनुसार उपरोक्त आराजी अपने नाम से अलग से खाता के रूप में खातेदारी दर्ज करवाना आवश्यक हो गया है। उपरोक्त कृषि भूमि श्रीमान् न्यायालय के

अधिकार क्षेत्र में स्थित है, अतः वाद वादी काबिल समाअत अदालतवाला है तथा तारीख इंकारी से बिना किसी देरी के उचित न्यायशुल्क पर पेश किया जा रहा है। प्रतिवादी सं0 02 व 03 का भी चूंकि हक हिस्सा बनता है, इसलिए वह आवश्यक पक्षकार है। प्रतिवादी सं0 03 ने हालांकि शादीशुदा होने के कारण अपना हक हिस्सा छोडा हुआ है, मगर कानूनन हक होनें से पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी सं0 04 लैण्ड होल्डर होने से आवश्यक पक्षकार है, इसलिए पक्षकार बनाया गया है। लिहाजा वाद वादी पेश करके अर्ज है कि वाद वादी, बहक वादी, खिलाफ प्रतिवादी निम्न प्रकार से डिकी किया जावे– (क) डिकी घोषणा इस अमर की सादिर की जावे कि वाद पत्र की चरण सं0 2 में दर्ज कृषि भूमि चक 8 वाई तह0 श्रीगंगानगर के खाता सं0 49 नया 45 पुराना, मु0 नं0 8, 17, 18, 42 की कुल 1.937 है0 व चक 9 वाई तह0 श्रीगंगानगर के खाता सं0 नया 58 पुराना 53, मु0 नं0 51, 52, 66 की कुल 1.682 है0, जो कि वादी व प्रतिवादी सं0 01 ता 03 के संयुक्त हिन्दू परिवार की जद्दी व अविभाजित सम्पति के रूप में प्रतिवादी सं0 01 के नाम से दर्ज चली आ रही है, जद्दी जायदाद होने से वादी का जन्म से हक हिस्सा होने से उसके हिस्सा की भूमि का उसको खातेदार, काश्तकार, हकदार घोषित करते हुए पारिवारिक समझौता द्वारा किये गये घरू विभाजन के अनुसार वादी के नाम चक 9 वाई के खाता सं0 58/53, मु0 नं0 51 का किला नं0 25/1, 25/2, मु0 नं0 52 के किला नं0 21/2 व 21/3 की 0.164 है0 मु0 नं0 66 के किला नं0 5, 6 सालम सालम दर्ज करने, मामला लगान कायम करने का आदेश फरमाया जावे।

दिनांक 03.09.2021 को प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 की ओर से अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा द्वारा जवाब वाद पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्यों के अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 द्वारा वाद पत्र के समस्त चरण स्वीकार किये गये।

दिनांक 29.03.2022 को जवाब राज्य पक्ष प्रस्तुत किया गया।

दिनांक 21.04.2022 को प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021, ग्राम पंचायत मोहनपुरा में पक्षकारान वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा उपस्थित आकर राजीनामा प्रस्तुत कर आदेशिका पर हस्ताक्षर एवं अंगुठा निशान अंकित किये गये। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 की पहचान सरपंच ग्राम पंचात मोहनपुरा द्वारा की गई। अतः राजीनामा प्रमाणित किया गया।

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गई

पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 21.04.2022 एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए प्रस्तुत बहस का मनन किया गया। ऐसी स्थिति में वाद ग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में चक 9 वाई पटवार हल्का मोहनपुरा, भू. अभि. निरीक्षक क्षेत्र कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी संवत् 2072–2075 खाता संख्या 58/53, चक 8 वाई पटवार हल्का मोहनपुरा, भू. अभि. निरीक्षक क्षेत्र कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी संवत् 2071–2074 खाता संख्या 49/45, व नामान्तरण संख्या 495, 364 दिनांक 01.02.2006 एवं जमाबन्दी संवत् 2095–2098 की प्रमाणित प्रतियां के आधार पर एवम् पारिवारिक बंटवारा/राजीनामा अनुसार वादी उक्त संयुक्त खाता की भूमि का बंटवारा करवाने के अधिकारी है।

आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है तथा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 21.04.2022 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 के नाम से दर्ज चक 8 वाई तह0 श्रीगंगानगर के खाता सं0 49 नया 45 पुराना, मु0 नं0 8, 17, 18, 42 की कुल 1.937 है0 व चक 9 वाई तह0 श्रीगंगानगर के खाता सं0 नया 58 पुराना 53, मु0 नं0 51, 52, 66 की कुल 1.682 है0 कृषि भूमि में से वादी संख्या 1 भूपेन्द्र सिंह पुत्र नाजर सिंह को चक 9 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 58/53, मुरब्बा नं0 51 का किला नं0 25/1, 25/2, मुरब्बा नं0 52 के किला नं0 21/2 व 21/3 की 0.164 है0 व मुरब्बा नं0 66 के किला नम्बर 5 और 6 सालम कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करें। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी तथा उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग–अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी। जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव

Scanned with OKEN Scanner

नहीं किया जावेगा। खर्चा फरीकैन अपना अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किए जाने पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 07 दिसम्बर, 2022 को जारी किया गया।

जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर
(प्रशिक्षु आई.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री
(ORDER 20 RULE 6-7 CPC)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – श्री जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर , प्रशिक्षु आई.ए.एस.

वादपत्र संख्या 008/2021
अन्तर्गत धारा 88, 53, 91 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. भूपेन्द्र सिंह पुत्र नाजर सिंह जाति जट सिख निवासी 8 वाई मोहनपुरा तह0 व जिला श्रीगंगानगर। –वादी

बनाम

1. नाजर सिंह पुत्र स्व0 नंद सिंह जाति जट सिख निवासी 8 वाई मोहनपुरा तह0 व जिला श्रीगंगानगर।
2. लखविन्द्र सिंह पुत्र नाजर सिंह जाति जट सिख निवासी 8 वाई मोहनपुरा तह0 व जिला श्रीगंगानगर।
3. मनप्रीत कौर पुत्री नाजर सिंह, पत्नी जसविन्द्र सिंह जाति जट सिख निवासी चाहूवाली तह0 टिब्बी जिला हनुमानगढ़
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर। –प्रतिवादीगण

उपस्थित–	श्री बलराम स्वामी	(अधिवक्ता वादी)
	श्री संजय जनवेजा	(प्रति. संख्या 1 ता 3)
	पैरोकार राज	(प्रतिवादी–4)

दिनांक 08 दिसम्बर, 2022

वादपत्र संख्या 008/2021
अन्तर्गत धारा 88, 53, 91 राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर द्वारा वादी अधिवक्ता श्री बलराम स्वामी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा पैरोकार राज प्रतिवादी–4 की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि –

प्रतिवादी संख्या 01 के नाम से दर्ज चक 8 वाई तह0 श्रीगंगानगर के खाता सं0 49 नया 45 पुराना, मु0 नं0 8, 17, 18, 42 की कुल 1.937 है0 व चक 9 वाई तह0 श्रीगंगानगर के खाता सं0 नया 58 पुराना 53, मु0 नं0 51, 52, 66 की कुल 1.682 है0 कृषि भूमि में से वादी संख्या 1 भूपेन्द्र सिंह पुत्र नाजर सिंह को चक 9 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 58/53, मुरब्बा नं0 51 का किला नं0 25/1, 25/2, मुरब्बा नं0 52 के किला नं0 21/2 व 21/3 की 0.164 है0 व मुरब्बा नं0 66 के किला नम्बर 5 और 6 सालम कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। अतः डिक्री जारी की जाती है।

रूपये ...शून्य ....वास्ते...शून्य. ....खर्चा इस प्रकरण पर हुऐ व्यय मय ब्याज..शून्य..... दर वार्षिक ..शून्य .....आज की तिथि से वसूली दिवस तक अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2022 को जारी की गयी.

जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर
(प्रशिक्षु आई.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

वादी	राशि (00.00)	प्रतिवादी	राशि (00.00)
स्टाम्प वादपत्र	00.00	स्टाम्प वकालतनाम	00.00
स्टाम्प वकालतनाम	00.00	स्टाम्प आवेदनपत्र	00.00
स्टाम्प अभिलेखीय साक्ष्य	00.00	वकील शुल्क	00.00
वकील शुल्क	00.00	व्यय साक्षीगण	00.00
व्यय साक्षीगण	00.00	आयुक्त शुल्क	00.00
आयुक्त शुल्क	00.00	व्यय इजराय	00.00
कुल	00.00	कुल	00.00

जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर
(प्रशिक्षु आई.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रैक) श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner